

26.4.18.

प्रथम पक्ष का हलरी है  
द्वितीय पक्ष का हलरी है  
SIC आमतौर है

पुकार पर अनुपालन

दिनांक 19/05/18 को  
लिखित विचारों की जागी है  
पुनः उक्त लिखित को वरु है  
निष्पत्ति निम्न प्रकार है

19/5/18

19.5.18

पुण्य की हलरी है  
विपरीत का हलरी है आइसार्ज  
प्रिम्पुका पर SIC सादन से

19/5/18

आदेश

द्वितीयपक्ष के विद्युत उपकरणों का  
बदल देना एवं अमितैल का अवलोकन किया  
वर्तमान में विषयगत आदि को लेकर थना  
प्रमारी से किसी प्रकार का शान्ति व्यवस्था भोग  
होने की सूचना उप्राप्त है। ऐसी स्थिति  
में वर्तमान वाद को आगे चलाने का  
आवश्यक उचित नहीं होगा है।

कार्यवाही को समाप्त किया जा रहा है  
लेखापत्र एवं संशोधित

अनु २०

अनु २०  
उत्तर